रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 981] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2017/अग्रहायण 16, 1939
No. 981] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2017/ AGRAHAYANA 16, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1490(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग- 1 और वर्ग- 2 पद) भर्ती नियम 1965 को, जहां तक उनका संबंध क्यूरेटर (केन्द्रीय राष्ट्रीय पादपालय), सहायक क्यूरेटर (आईएसआईएम), सहायक पारिस्थितिकीविद , वनस्पतिज्ञ (उद्यानिकी), उद्यान क्यूरेटर, क्यूरेटर (भारतीय वनस्पति उद्यान), (ii) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, सहायक सूचना अधिकारी (केन्द्रीय कार्यालय), सहायक सूचना अधिकारी (भारतीय वनस्पति उद्यान) और प्रकाशन अधिकारी भर्ती नियम, 1976 को, जहां तक उनका संबंध सहायक सूचना अधिकारी (केन्द्रीय कार्यालय), सहायक सूचना अधिकारी (भारतीय वनस्पति उद्यान) के पदों से है और (iii) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वनस्पतिज्ञ- समूह 'ख') भर्ती नियम 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वनस्पतिज्ञ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वनस्पतिज्ञ) भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में था विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वनस्पतिज्ञ	44 (2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह – ख, राजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल -7: (₹44,900-1,42,400)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी : आयु सीमा	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/ उद्यानिकी/ जीव विज्ञान/ कृषि विज्ञान में एमएससी उपाधि (ii) निम्न शाखाओं में	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : नहीं, किन्तु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में कम से कम बैचलर	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो होगी । (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश का लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समुह या लक्षद्वीप के लिए अवधारित की गई है)	से किसी में 3 वर्षों का शोध अनुभव : आवृतबीजीय/ अनावृतबीजीय / शैवाल विज्ञान/ कवक विज्ञान/ शैवाक/ हरितोद्भिद/ टेरिडोफाइट/ उद्यानिकी/ वृक्ष विज्ञान/ वानिकी/ पारिस्थितिकी और पर्यावरण/ अर्थ वनस्पति विज्ञान/ संग्रहालय शास्त्र (प्रकाशनों में जिसका साक्ष्य हो) (iii) फिल्ड में पादप संग्रहण में अनुभव और पादपालय संविधि का ज्ञान और तरल और कार्पोलोजिकल संग्रहणों के परिरक्षण/ पादप ऊतक संवर्धन परा स्थाने और स्व स्थाने संरक्षण विधियों का ज्ञान । **वांछनीय (कोई एक) :** (i) निम्न में से किसी एक भाषा का ज्ञान : लैटिन/ जर्मन/ फ्रेंच / रसियन/ चाइनीज/ जेपेनीज़/ स्पेनिश. (ii) अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण कोड का ज्ञान । (iii) पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन का ज्ञान । (iv) पत्रकारिता/ जन संचार का ज्ञान । (v) बारकोडिंग, स्कैनिंग और पादपालयी नमूनों के डिजिटाईजेशन का ज्ञान ।	डिग्री या समतुल्य।		

	(vi) पुष्पीय पौधों की पारिस्थितिकी का ज्ञान। (vii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाये संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के लिए किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **टिप्पण 3 :** शैक्षिक अर्हताओं की किसी विशिष्ट शाखा और जिस क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता हो, को भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।			

प्रोन्नति या प्रतिनुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे वनस्पति सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष सेवा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथाविहित 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है,वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।	प्रोन्नति और पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) संयुक्त सचिव या समतुल्य,पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी सीएस प्रभाग - अध्यक्ष (2) निदेशक (सीएस) या समतुल्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – सदस्य (3)निदेशक,भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण-सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 01/35/2011—सीएसबी]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2017

G.S.R. 1490(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Botanical Survey of India (Class-I and Class-II posts) Recruitment Rules, 1965 insofar as they relate to the posts of Curator (Central National Herbarium), Assistant Curator (ISIM), Assistant Ecologist, Botanist (Horticulture), Garden Curator, Curator (Indian Botanic Garden) (ii) the Botanical Survey of India, Assistant Information Officer (Central Office), Assistant Information Officer (Indian Botanic Garden) and Publication Officer Recruitment Rules, 1976 insofar as they relate to the posts of Assistant Information Officer (Central Office), Assistant Information Officer (Indian Botanic Garden) and (iii) the Botanical Survey of India (Botanist-Group 'B') Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Botanist in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Botanist) Recruitment Rules,2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.– The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Botanist	44 (2017) * *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level-7, (₹ 44,900-1,42,400)	Selection

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years. Note 1: (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 2: The crucial date for determining	**Essential:** (i) M.Sc. Degree in Botany/ Horticulture/ Life Sciences/ Agriculture from a recognised University. (ii) 3 years' experience of Research in any of the following branches:	Age: No. Educational Qualifications: No, but must possess at least Bachelor's degree in Botany from a recognised university or equivalent.	2 years for direct recruits.	66.67% by promotion, 33.33% by direct recruitment.

the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub- division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).	Angiosperms/ Gymnosperms/ Algae/ Fungi/ Lichens/ Bryophytes/ Pteridophytes/ Horticulture/ Arboriculture/ Forestry/ Ecology & Environment/ Economic Botany/ Museology (as evidenced by publications) (iii) Experience of plant collection in the field and knowledge of herbarium methodology and preservation of liquid and carpological collections/ Tissue Culture, ex-situ and in-situ conservation. **Desirable (any one):** (i) Knowledge of any one of the following languages: Latin/ German/ French/ Russian/ Chinese/ Japanese/ Spanish. (ii) Knowledge of International Code of Botanical Nomenclature. (iii) Knowledge of Environmental Impact Studies. (iv) Knowledge of Journalism/ Mass Communication. (v) Knowledge of barcoding, scanning and digitisation of herbarium specimens. (vi) Knowledge of Ecology of flowering plants. (vii) Knowledge in computer applications. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the			

	discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 3:** The particular discipline in the educational qualification and areas in which experience are required shall be specified according to the requirement at the time of recruitment.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Botanical Assistant with 5 years' service in Level-6 of the Pay Matrix	Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation consisting of:	Consultation with the UPSC necessary while making Direct Recruitment.

rendered after appointment thereto on a regular basis and successful completion of 2 weeks training as prescribed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(1) Joint Secretary or Equivalent in charge of CS division of MoEF – Chairman (2) Director (CS) or equivalent, MoEF– Member (3) Director, Botanical Survey of India – Member	

[F. No.: 01/35/2011-CSB]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.09 11:36:51 +05'30'